प्रकीर्ण वाद संख्या १८५/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४७४/२००४)
श्रीमती पुष्पा देवी आदि बनाम ब्रह्मानंद आदि
०२.१२.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती पुष्पा देवी, निक्की अवयस्क व श्रीमती मुन्नी रायकवार द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनाँकित २२.०८.२०१९ के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ ३,५९,३३६ न्यायाधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाते में जमा की जा चुकी है। दौरान याचिका याची सं. ३ कल्लू रायकवार की मृत्यु हो चुकी थी किन्तु उक्त तथ्य की जानकारी शेष याचीगण द्वारा अधिवक्ता को नहीं दी गई, इस कारण याची सं. २ के मृत होने का पृष्ठांकन नही हो पाया है। दौरान आदेश ९ नियम १३ जाब्ता दीवानी में कल्लू के मृतक होने का तथ्य पत्रावली पर आया था। उक्त कारण से मृतक याची सं. ३ कल्लू के नाम ₹ ५०,००० प्रतिकर निर्धारित हो गयी थी। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि मृतक याची सं. ३ की उक्त धनराशि उसकी पत्नी याचिया सं. ४ श्रीमती मुन्नी देवी अथवा शेष याचीगण के हक में न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के अनुसार प्रार्थीगण को दिलाए जाने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी का शपथपत्र ४सी२ व अपने-अपने आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ, कल्लू रायकवार के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि व याचीगण के बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ तथा उक्त एम.ए.सी.पी. सं. ४७४/ २००४ में न्यायाधिकरण के निर्णय दिनाँकित २२.०८.२०१९ की सत्यप्रतिलिपि दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं.४७४/२००४ श्रीमती पुष्पा देवी आदि बनाम ब्रम्हानंद कुशवाहा व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती पुष्पा देवी ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कोई स्थगन आदेश नहीं है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचीगण की याचिका आंशिक रूप से ₹ ६,७४,८०० की धनराशि के लिए स्वीकार की गयी है, जिसमें से कार चालक की योगदायी उपेक्षा ५० प्रतिशत राशि की कटौती किये जाने के उपरान्त ₹ ३,३७,४०० बतौर प्रतिकर विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी से प्राप्त होनी है तथा उक्त धनराशि पर याचिका के पुनः अपने नम्बर पर कायम होने की तिथि १६.०१.२०१९ से वास्तविक भुगतान की तिथि तक ७ प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ श्रीमती पुष्पा को ₹ १,३७,४०० चेक के माध्यम से नकद दिये जाने है तथा याची सं. २ निक्की अवयस्क (याचिका के अनुसार अब वयस्क व पुत्र सीताराम) को ₹ १,००,००० प्राप्त होने हैं, जो धनराशि उसके वयस्क होने तक के लिए उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक बहुमूल्यकारी सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना है तथा याचीगण सं. ३ कल्लू रायकवार (वर्तमान में मृतक) व याची सं. ४ श्रीमती मुन्नी रायकवार प्रत्येक को ₹ पचास-पचास हजार चेक के माध्यम से नकद प्राप्त होने हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खातों की छाया प्रतियाँ पत्रावली पर दाखिल की गयीं हैं। पत्रावली पर प्रार्थीगण की ओर से कल्लू रायकवार के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मृत्यु प्रमाणपत्र अधिशाषी अधिकारी न. पा. परिषद, बरुआसागर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कल्लू रायकवार पुत्र स्व. श्री विन्दे रायकवार की मृत्यु की दिनाँक २०.१०.२००५ को होना अंकित है। अतः मृतक कल्लू रायकवार को प्राप्त होने वाली ₹ ५०,००० व उसके भाग की प्राप्त ब्याज की अर्जित धनराशि में से श्रीमती मुन्नी रायकवार याची सं.४ जो कि उक्त मृतक कल्लू रायकवार की पत्नी है तथा मृतक सीताराम की माँ है व याचीगण सं. १ व २ क्रमशः श्रीमती पुष्पा देवी, निक्की जो कि क्रमशः मृतक की पत्नी व पुत्र एवं याची सं. ३ मृतक कल्लू की पुत्रवधू व नाती हैं, को बराबर-बराबर भाग में दिलाया जाना न्यायोचित होगा। वर्तमान में प्रार्थी निक्की पुत्र स्व. सीताराम बालिग हो चुका है। तदनुसार प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित एवार्ड के अनुसार प्रार्थीगण प्रस्तुत याचिका में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि मुब. **₹ ३,५९,३३६** तथा उक्त याचीगण को प्राप्त प्रतिकर की धनराशि के अनुपात में अर्जित ब्याज को जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने योग्य है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ४७४/२००४ (प्रकीर्ण वाद सं. १८५/२०२० श्रीमती पुष्पा देवी आदि बनाम ब्रह्मानंद आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursement	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Pushpa Devi	146334	40	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010461	Syndicate Bank Govind Chauraha jhansi	SYNB0009235

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.23 14:46:13 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI

2. Nikki aka Nikhil Kashyap	106501	30	Elect. Mode RTGS/NEFT	92352010010476	Syndicate Bank Govind Chauraha jhansi	SYNB0009235
3.SMT. Munni	106501	30	Elect.Mode RTGS/NEFT	92352010010553	Syndicate Bank Govind Chauraha jhansi	SYNB0009235
Total	**359336**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।